विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 12.08.2025 को 11:30 बजे पूर्वाह्न में संपन्न विधान मंडलीय प्रश्नों से संबंधित मामलों की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:—

उपस्थिति:

1. श्री आदित्य प्रकाश, अवर सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना
2. श्री बीरेन्द्र कुमार, कार्यपालक अभियंता—सह—नोडल पदाधिकारी, विधायी कार्य
3. श्री संजीव रंजन, प्रशाखा पदाधिकारी, मुख्य अभियंता का कार्यालय, निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण
4. श्री मनीष कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, मुख्य अभियंता का कार्यालय, निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण
5. श्री राजकुमार, निम्न वर्गीय लिपिक, मुख्य अभियंता का कार्यालय, निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण
6. श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह, उच्च वर्गीय लिपिक (संविदा), मुख्य अभियंता का कार्यालय, निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण
7. श्री संजय कुमार सिंह, उच्च वर्गीय लिपिक, मुख्य अभियंता का कार्यालय, निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण

अधोहस्ताक्षरी द्वारा आज दिनांक—12.08.2025 को 11:30 बजे पूर्वाह्न में विधायी कार्यों की समीक्षा उपर्युक्त उपस्थित पदाधिकारियों/कर्मियों की उपस्थिति में की गई। समीक्षा के क्रम में बिहार विधान सभा/परिषद के विभिन्न समितियों के लंबित प्रश्नों का उत्तर प्रतिवेदन भेजने/समीक्षा कराने आदि के संबंध में निम्नलिखित निदेश दिया गया:—

1. बिहार विधान सभा/परिषद के विभिन्न समितियों यथा आश्वासन समिति, निवेदन समिति, याचिका समिति, ध्यानाकर्षण समिति, शून्यकाल समिति इत्यादि के लंबित प्रश्नों के उत्तर प्रतिवेदन प्राप्त करने हेतु प्रशाखा के द्वारा संचिका मुख्य अभियंता, निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण को उपस्थापित की जायेगी।
2. मुख्य अभियंता, निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण के कार्यालय में पदस्थापित श्री बीरेन्द्र कुमार, नोडल पदाधिकारी एवं श्री संजीव रंजन, प्रशाखा पदाधिकारी संबंधित कार्य प्रमंडल/मुख्य अभियंता के कार्यालय से समन्वय स्थापित कर उत्तर प्रतिवेदन प्राप्त करेंगे एवं मुख्य अभियंता, निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण द्वारा समीक्षोपरान्त प्रारूप सहित उत्तर प्रतिवेदन उचित माध्यम से माननीय मंत्री महोदय के अनुमोदनार्थ उपस्थापित किया जायेगा।
3. श्री बीरेन्द्र कुमार, कार्यपालक अभियंता—सह—नोडल पदाधिकारी, विधायी कार्य को निदेश दिया गया कि वे अपने स्तर से समीक्षा कर तत्परतापूर्वक सभी समितियों के लंबित प्रश्नों का अद्यतन उत्तर प्रतिवेदन प्राप्त करने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

4. श्री संजीव रंजन, प्रशाखा पदाधिकारी, मुख्य अभियंता, निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण का कार्यालय को निदेश दिया गया कि बिहार विधान सभा के लंबित आश्वासनों का उत्तर प्रतिवेदन प्राप्त करने हेतु दूरभाष के माध्यम से प्रत्येक कार्य दिवस को संबंधित कार्यपालक अभियंता से सम्पर्क करना सुनिश्चित करेंगे तथा कृत कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत करायेंगे।
5. मुख्य अभियंता, निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण में पदस्थापित सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों/उच्च वर्गीय लिपिकों आदि के सहयोग से श्री संजीव रंजन, प्रशाखा पदाधिकारी विधान मंडलीय प्रश्नों का त्वरित निष्पादन कराना सुनिश्चित करेंगे।
6. लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन में किसी भी तरह की लापरवाही बरतने पर संबंधित पर अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।
7. मुख्य अभियंता, निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण के कार्यालय का दायित्व होगा कि उत्तर त्रुटिरहित एवं साक्ष्य समर्थित हो।

बैठक सधन्यवाद संपन्न हुई।

12/8/25

(मनोज कुमार)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांकः–10/अ0प्र0–08–04/25 8773 दिनांकः– 13.8.25

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/सचिव के निजी सहायक/विशेष सचिव के निजी सहायक/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव के निजी सहायक/अभियंता प्रमुख के निजी सहायक/सभी मुख्य अभियंता/श्री आदित्य प्रकाश, अवर सचिव/श्री बीरेन्द्र कुमार, कार्यपालक अभियंता–सह–नोडल पदाधिकारी, विधायी कार्य/श्री संजीव रंजन, प्रशाखा पदाधिकारी, मुख्य अभियंता का कार्यालय, निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण/प्रशाखा पदाधिकारी–9 एवं 10/सभी संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/8/25

सरकार के विशेष सचिव।